कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/प्रारं/नियुप्रको/नियु–2/982/टीजीटी–2016/ले.–2/2016–17 दिनांक :30/10/2017

राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित)

विषयः– तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय के लिए जारी विज्ञापन संख्या 01/2017 व 02/2017 दिनांक 11.09.2017 में विज्ञापित विज्ञान–गणित के पदों के संबंध में स्पष्टीकरण

ग्रामीण विकास व पंचायत राज विभाग राजस्थान जयपुर के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29.08.2017 से पंचायत राज नियम 1996 के नियम 266 में संशोधन कर तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय गणित व विज्ञान विषय अध्यापक भर्ती हेतु अलग अलग शैक्षिक योग्यताऐं निर्धारित की गई है।

निःशुल्क एंव अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की धारा 19 की अनुसूची में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के अध्यापकों के लिये विज्ञान व गणित को एक ही इकाई मानकर विज्ञान–गणित का कॉमन पद निर्धारित किया गया है व राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 5 (8) प्राशि/2016 जयपुर दिनांक 21.04.2016 में तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय में विज्ञान–गणित का कॉमन पद स्वीकृत किया गया है तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आरटीई एक्ट के अंतर्गत ही आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में विज्ञान–गणित को एक इकाई मानकर परीक्षा आयोजित की गई/करवाई जा रही है।

प्रारंभिक शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय 2016 (संशोधित) लेवल द्वितीय हेतु विज्ञापन संख्या 01/2017 व 02/2017 दिनांक 11.09.2017 जारी कर गैर अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है व इस भर्ती में लेवल द्वितीय के तृतीय श्रेणी अध्यापक विज्ञान–गणित के कॉमन पद विज्ञापित किये गये ।

अतः तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल द्वितीय की विज्ञान–गणित की भर्ती के लिए विज्ञापित पद हेतु उक्त वर्णित स्थितियों के अनुसार गणित व विज्ञान दोनो विषय वर्ग के योग्यताधारी आशार्थी विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या 6.1 (B) के अनुसार आवेदन करने के पात्र होंगे तथा विज्ञान–गणित अध्यापक पद हेतु कॉमन वरियता तैयार की जायेगी।

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर